न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग

प्रकरण संख्याः– 135/2021 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/350), पीठासीन अधिकारीः– श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

1. महेन्द्र सिंह } पुत्रगण श्रीराम
2. दिगम्बर सिंह }
3. ननगी पत्नी श्रीराम
4. राधा पुत्री श्रीराम पत्नी निहाल सिंह } जातियान गूजर नि0 दिल्ली दरवाजा कस्बा डीग
5. शकुन्तला पुत्री श्रीराम पत्नी हरभान सिंह जाति गूजर नि0 भरतपुर

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग

प्रति0

दावा वावत उद्घोशणा अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट,

दिनांकः 17.03.2025

निर्णय

विवादित आराजी खसरा नम्बरान 336/0.15, 337/0.11, 330/1.07, 308/0.17, 267/0.15, 295/0.10, 325/0.29, 326/0.15, 331/0.06, 535/0.03, 583/0.09, 810/0.10, 520/0.18, 529/0.15, 530/0.21,वाके ग्राम टांकौली तहसील डीग में स्थित है। विवादित आराजी को हाल बन्दोवस्त में गत आराजी खसरा नम्बर 109 रकबा 6 विस्वा , 113 रकबा 11विस्वा, 116 रकबा 1 वीघा, 122 रकबा 1 वीघा 16 विस्वा, 123 रकबा 17 विस्वा, 137 रकबा 14 विस्वा, 155 रकबा 1 वीघा 4 विस्वा, 234 रकबा 18 विस्वा, 244 रकबा 5 विस्वा, 249 रकबा 5 विस्वा, 327 रकबा 10 विस्वा, 405 रकबा 4 विस्वा वाके ग्राम टांकौली तहसील डीग है। विवादित आराजी वादीगण के पिता व पति श्रीराम पुत्र भगवान सिंह जाति गूजर नि0 कस्बा डीग की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी जिस पर वादीगण के पिता व पति श्रीराम सिंह अपने जीवनकाल में वाहैसियत खातेदार काश्तकार काविज होकर काश्त करते रहे और उनकी मृत्यु के बाद से वादीगण बतौर वारिस विवादित आराजी पर काविज रहकर लगातार काश्त करते चले आ रहे है तथा आज भी मौके पर वादीगण वाहैसियत खातेदार काश्तकार काविज है। विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में बन्दोवस्त से पूर्व वादीगण के पिता व पति श्रीराम सिंह को गैर खातेदार दर्ज किया जा रहा था जिसके उपरांत श्रीराम सिंह द्वारा सक्षम अधिकारी के समझ उजरदारी पेश किये जाने पर जरिये नामा0

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 185 सम्बत 2035 वाके ग्राम टांकौली तहसील डीग के द्वारा हुकमन श्रीराम सिंह पुत्र भगवान सिंह को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया जिसका अमल खसरा गिरदावरी सम्बत 2037 से 2040 में किया गया और वादीगण के पिता पति को राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार के स्थान खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया गया॥ लेकिन बन्दोवस्त विभाग द्वारा विवादित आराजी का नवीन राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करते समय गलत तरीके पर वादीगण के पिता व पति श्रीराम सिंह को पुनः गैर खातेदार दर्ज कर दिया जिसके बाद से राजस्व रिकार्ड में श्रीराम सिंह पिता व पति वादीगण को गैर खातेदार दर्ज किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम टांकौली तहसील डीग में स्थित आराजी खसरा नम्बरान 336/0.15, 337/0.11, के हि0 6/13 के तथा 330/1.07, के हि0 20/83 के तथा खसरा नम्बर 308/0.17 के हि0 1/4 के तथा खसरा नम्बर 267/0.15, 295/0.10, 325/0.29, 326/0.15, 331/0.06, 535/0.03, 583/0.09, सम्पूर्ण के तथा खसरा नम्बर 810/0.10, के हि0 2/15 के तथा खसरा नम्बर 520/0.18, 529/0.15, 530/0.21, के वाहिस्सा बरावर 1/5, 1/5 के खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता व पति श्रीराम पुत्र भगवान सिंह को गैर खातेदार दर्ज किया जा रहा है के स्थान पर खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश फरमायें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 27.10.2021 को वादीगण के द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आराजी खसरा नम्बर 308/0.17 वाके ग्राम टांकौली तहसील डीग को दावे से तर्क किये जाने का निवेदन किया गया॥ जिसे सुनवाई उपरांत खसरा नम्बर 308/0.17 को तर्क किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जबाव सरकार भी पेश किया गया। जबाव सरकार में दावे में वर्णित तथ्यों को विरोध किया गया।

दावा व जबाव दावा की प्लाडिंग के आधार पर दिनांक 09.03.2022 को तनीयात कायम की गईः—

1. आया वादीगण विवादित आराजी वर्णित आराजीयात पर अपने आपको गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार घोशित करा पाने के अधिकारी है?
2. दादरसी?

साक्ष्य वादीगण में दिनांक 17.05.2022 को वादी महेन्द्र सिंह के बयान पंजीबद्व किये गये। साथ ही साक्ष्य वादीगण बंद की जाकर प्रकरण को बहस हेतु रखा गया। दिनांक 05.07.2023 को वादीगण के वकील के द्वारा फॉर्म नम्बर 3 के साथ दस्तावेजात प्रतियां पेश की गई। दिनांक 10.03.2025 को दावे पर अन्तिम बहस सुनी गई।

हमने वादी के वादपत्र,पैरोकार सरकार के जबाव दावे,गवाह पीडब्ल्यू—1 महेन्द्र सिंह पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड प्रदर्श—1 जमाबन्दी सम्बत 2075—78,खसरा नम्बर 336/0.15, किस्म बारानी—I, 337/0.11 किस्म बारानी—I में श्रीराम पुत्र भगवान सिंह हि0 6/13 का गैर खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बर 330 रकबा 1.07 किस्म बारानी–I श्री राम पुत्र भगवान सिंह हि0 20/83 गैर खातेदार,खसरा नम्बर 267/0.15, 295/0.10, 325/0.29, 326/0.15, 331/0.06, 535/0.03, 583/0.09 किस्म बारानी–I श्रीराम पुत्र भगवान सिंह हि0 पूर्ण गैर खातेदार,खसरा नम्बर 810/0.10 किस्म चाही–I, जाब–I श्रीराम पुत्र भगवान सिंह हि0 2/15 गैर खातेदार,खसरा नम्बर 520/0.18, 529/0.15 किस्म बारानी–I श्रीराम पुत्र भगवान सिंह हि0 1/6 गैर खातेदार दर्ज है।

प्रदर्श–1 मिलान क्षेत्रफल/खसरा पत्रक के अनुसार हाल खसरा नम्बर साविक खसरा नम्बर 109 रकबा 6 विस्वा, 113 रकबा 11 विस्वा, 116 रकबा 1 वीघा,122 रकबा 1 वीघा 16 विस्वा, 123 रकबा 17 विस्वा, 137 रकबा 14 विस्वा, 155 रकबा 1 वीघा, 4 विस्वा, 234 रकबा 18 विस्वा, 244 रकबा 5 विस्वा, 327 रकबा 10 विस्वा, 405 रकबा 4 विस्वा वाके ग्राम टांकौली से बना है।

प्रदर्श–2, प्रमाणित नकल नामा0 संख्या 185 दिनांक 20.10.85 श्रीराम पुत्र भगवान सिंह कॉम गूजर सा0 कस्बा डीग को साविक खसरा नम्बर 122 रकबा 1 वीघा 16 विस्वा, 327 रकबा 10 विस्वा, 109 रकबा 6 विस्वा, 113 रकबा 11 विस्वा, 116 रकबा 1 वीघा, 123 रकबा 17 विस्वा, 137 रकबा 14 विस्वा, 155 रकबा 1 वीघा 4 विस्वा, 244 रकबा 1 वीघा, 405 रकबा 4 विस्वा, 234 रकबा 18 विस्वा, किता–11 रकबा 8 वीघा 5 विस्वा पर 13 बर्ष काश्त करने के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये गये है।

प्रदश–3, पर्चा खतौनी खसरा नम्बर 336, 337 भू–प्रबंध दिनांक 06.08.82,पर्चा खतौनी खसरा नम्बर 267, 175, 325, 326, 331, 535, 583 दिनांक 06.08.79,

प्रदर्श–4,जमाबन्दी सम्बत 2024 से 2027 के साविक खसरा नम्बर 122 रकबा 1 वीघा 16 विस्वा किस्त बारानी, 327 रकबा 10 विस्वा किस्म बारानी–I कुल रकबा 2 वीघा 6 विस्वा बारानी खसरा नम्बर 109 रकबा 6 विस्वा किस्म कदीम, 113 रकबा 11 विस्वा किस्म कदीम, 116 रकबा 1वीघा किस्म कदीम 123 रकबा 17 विस्वा किस्म कदीम 137 रकबा 14 विस्वा कदीम, 155 रकबा 1 वीघा 4 विस्वा किस्म कदीम, 249 रकबा 5 विस्वा, 405 रकबा 4 विस्वा कुल किता–8 रकबा 5 वीघा 1 विस्वा कदीम खसरा नम्बर 234 रकबा 18 विस्वा गैर मुमकिन नदी में गैर खातेदार दर्ज है।

प्रदर्श–5, खसरा पत्रक भू–प्रबंध विभाग सम्बत 2034 साविक खसरा नम्बर 155 रकबा 1 वीघा 4 विस्वा पर फसल काश्त लाहा दर्ज है। खसरा नम्बर 137 पर लाहा जिन्स दर्ज है। 109 पर चना जिन्स दर्ज है। 122 पर लाहा व चना जिन्स दर्ज है। 116 पर सरसों जिन्स दर्ज है। 137 पर लाहा चना, 115 व 116 मिन पर लाहा व चना दर्ज है। 249 पर सरसों जिन्स दर्ज है। 327 पर चना जिन्स दर्ज है।

प्रदर्श–6 खसरा गिरदावरी ग्राम टांकौली सम्वत 2037 से 2040 साविक खसरा नम्बर 109 पर बाजरा,लाहा,सरसों श्रीराम पुत्र भगवान सिंह कॉम गूजर सा0 कस्बा डीग खातेदार दर्ज है। इसी

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रकार साविक खसरा नम्बर 137 पर श्रीराम खातेदार व बाजरा,लाहा,बाजरा,सरसों जिन्स दर्ज है। साविक खसरा नम्बर 113 पर श्रीराम खातेदार जिन्स सरसों,लाहा,बाजरा,सरसों दर्ज है।साविक खसरा नम्बर 122 व 123 पर श्रीराम खातेदार जिन्स सरसों,लाहा,बाजरा,सरसों दर्ज है। साविक खसरा नम्बर 155 पर श्रीराम खातेदार जिन्स सरसों,ज्वार,सरसों,बाजरा दर्ज है। साविक खसरा नम्बर 249 पर श्रीराम गैर खातेदार जिन्स चना,पडत,सरसों,बाजरा दर्ज है। साविक खसरा नम्बर 327,10 विस्वा पर श्रीराम खातेदार जिन्स चना लाहा पडत,बाजरा चना ज्वार दर्ज है।

प्रदर्श—7,जमाबन्दी सम्बत 2012 से 2015 में वादग्रस्त आराजी के साविक खसरा नम्बर श्रीराम के पिता भगवान सिंह व गजराज सिंह पिस0फौजदार राम सिंह हरसै वाहिस्सा बरावर 2 तिहाई दर 1/1/4 हिस्सा एक हिस्सा पर चार हिस्सा दर्ज है।

प्रदर्श—8, जमाबन्दी सम्बत 2016 से 2019 में भी वादग्रस्त आराजी के साविक खसरा नम्बर पर श्रीराम के पिता भगवान सिंह की सम्बत 2012 की जमाबन्दी अनुसार ही प्रबिष्टियां है।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। तनकीयात निम्नांनुसार निर्णीत की गईः—

तनकी संख्याः—1, आया वादीगण विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र के अपने आपको गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी है। इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर है। प्रदर्श—1 जमाबन्दी सम्बत 2075—78 हाल खसरा नम्बरान 336/0.15, 337/0.11, 330/1.07, 267/0.15, 295/0.10, 325/0.29, 326/0.15, 331/0.06, 535/0.03, 583/0.09, 810/0.10, 520/0.18,529/0.15 पर वाके ग्राम टांकौली श्रीराम पुत्र भगवान सिंह गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

प्रदर्श—2,प्रमाणित नकल नामा0 संख्या 185 दिनांक 20.10.85 श्रीराम पुत्र भगवान सिंह कॉम गूजर सा0 कस्बा डीग को साविक खसरा नम्बर 122 रकबा 1 वीघा 16 विस्वा, 327 रकबा 10 विस्वा, 109 रकवा 6 विस्वा, 113 रकवा 11 विस्वा, 116 रकवा 1वीघा,123 रकबा 17 विस्वा, 137 रकबा 14 विस्वा, 155 रकवा 1 वीघा 4 विस्वा, 244 रकबा 1 वीघा, 405 रकबा 4 विस्वा, 234 रकबा 18 विस्वा किता—11 रकबा 8 वीघा 5 विस्वा पर 13 वर्ष काश्त करने के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये गये है।

प्रदर्श—4, जमाबन्दी सम्वत 2024 से 2027 में वादग्रस्त आराजी के साविक खसरा नम्बर पर श्रीराम पुत्र भगवान सिंह गैर खातेदार दर्ज है।

प्रदर्श—5, खसरा पत्रक भू—प्रवंध विभाग सम्बत 2034 में वादग्रस्त आराजी के साविक खसरा नम्बरान में जिन्स लाहा चना बाजरा सरसों ज्वार दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्श–6, खसरा गिरदावरी ग्राम टांकौली सम्बत 2037 से 2040 में साविक खसरा नम्बर 109, 137, 113, 122, 123, 155, 249, 327 गिरदावरी में जिन्स चना,लाहा,पडत,बाजरा,चना,ज्वार दर्ज है तथा श्रीराम को खातेदार दर्ज किया हुआ है।

प्रदर्श–7,जमाबन्दी सम्बत 2012 से 2015, प्रदर्श–8 जमाबन्दी सम्बत 2016 से 2019 वादग्रस्त आराजी के साविक खसरा नम्बर पर श्रीराम के पिता भगवान सिंह की प्रबिष्टियां है। वादीगण की वादग्रस्त आराजी पैत्रिक आराजी है, जो जमाबन्दी सम्बत 2012 से 2015(प्रदर्श–7) व जमाबन्दी सम्बत 2016 से 2019(प्रदर्श–8) वादीगण के बाबा भगवान सिंह के नाम गैर खातेदार दर्ज हो रही है। प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्बत 2024 से 2027 में वादग्रस्त आराजी के साविक खसरा नम्बर वादीगण के पिता श्रीराम के नाम गैर खातेदार दर्ज है। खसरा नम्बर 234 रकबा 18 विस्वा किस्म गैर मुमकिन नदी जिसका हाल खसरा नम्बर 308 रकबा 0.17 ही प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि थी और शेष साविक खसरा नम्बर की भूमि की किस्म बारानी प्रथम व कदीम है। हाल खसरा नम्बर 308 रकबा 0.17 को वादीगण द्वारा तर्क करवा लिया है जिस पर वर्तमान में राजस्व मण्डल अजमेर से स्टे आदेश जारी है। साविक खसरा नम्बर 234 रकबा 18 विस्वा गै0मु0नदी को छोडकर वादीगण को खातेदारी दी जा सकती है। प्रदर्श–5 खसरा पत्रक भू–प्रबंध विभाग सम्बत 2034 में साविक खसरा नम्बर में वादीगण की काश्त दर्ज है। प्रदर्श–6 खसरा गिरदावरी सम्बत 2037 से 2040 में वादीगण की काश्त जिन्स दर्ज है। नामा0 संख्या 185 दिनांक 20.10.85 के द्वारा 13 बर्ष काश्त करने के आधार पर हुक्मन खातेदारी अधिकार दे दिये गये थे। उक्त नामा0 का राजस्व रिकार्ड में अमल भू–प्रबंध कार्मिकों की त्रुटि के कारण नहीं हो पाया है। वादीगण का वादग्रस्त आराजी के साविक खसरा नम्बर पर मुनाविक जमाबन्दी हिस्सा कब्जा काश्त है। वादीगण दावा स्वत्व घोषणा गैर खातेदारी से खातेदारी सिद्व करने में सफल रहे है। पैरोकार सरकार ने जबाव दावा के अतिरिक्त कोई लिखित एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या:–2, दादरसी, उभय पक्षकार अपना अपना वाद खर्च स्वयं वहन करेंगे।

साविक खसरा नम्वर 234 रकबा 18 विस्वा किस्म गै0 मु0 नदी जिसका हाल खसरा नम्बर 532 रकबा 14 विस्वा को आर.टी.एक्ट की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने के कारण एवं हाल खसरा नम्वर 308 रकबा 17 विस्वा जिसका साविक खसरा नम्बर 109 रकबा 6 विस्वा को वादीगण द्वारा तर्क करा लिये जाने के कारण छोडते हुए दावा वादीगण को स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

आदेश है कि:–

वादीगण का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित होने पर **स्वीकार** किया जाकर डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा नम्बरान 336/0.15, 337/0.11, के हिस्सा 6/13 तथा खसरा नम्बर 330/1.07 के हिस्सा 20/83 तथा खसरा नम्बर 267/0.15, 295/0.10, 325/0.29, 326/0.15, 331/0.06, 535/0.03, 583/0.09 सम्पूर्ण के तथा खसरा नम्बर 810/0.10 के हिस्सा 2/15 के तथा खसरा नम्बर 520/0.18, 529/0.15, 530/0.21 के हिस्सा 1/6 के वाहिस्सा बरावर 1/5, 1/5 वाके ग्राम टांकौली तहसील डीग पर स्थित आराजीयात पर वादीगण को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण के पिता व पति श्रीराम पुत्र भगवान सिंह के नाम चल रही गैर खातेदार की प्रबिष्टियों को कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। वर्णित आराजी में रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को खुल न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

Scanned with OKEN Scanner